

# सायल तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी  
अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-14.11.19

मि.न.-102/2019

सरकार बनाम गोपी  
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है 0किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.005 है0 पर गोपी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। अतः गैरसायल गोपी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.0085 है0 पर जोत लगाकर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः गोपी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 किस्म जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.005 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.15रु का पचास गुणा 8 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहसीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।